

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

गृह (गुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या... 238-844...
दिनांक... 10/11/2021

क्रमांक: प. 35(1) गृह-9/2006पार्ट

जयपुर, दिनांक: 18 DEC 2021

अधिसूचना:-

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि श्रीगंगानगर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर घुसपैठिए एवं राष्ट्रविरोधी तत्व सीमा पार कर इस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। जिससे जन सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने का पूर्ण अंदेश है एवं जिले से सटी हुई पाकिस्तान बार्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक सीमा के श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 7922 दिनांक 11.11.2021 एवं पाकिस्तान बार्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 7855 दिनांक 09.11.2021 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 7922 दिनांक 11.11.2021 एवं आदेश क्रमांक 7855 दिनांक 09.11.2021 की अवधि एतद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुकेश पारीक)

शासन उप सचिव, गृह

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को उनके पत्र आदेश क्रमांक 7922 दिनांक 11.11.2021 एवं क्रमांक 7855 दिनांक 09.11.2021 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर मुख्यालय, श्रीगंगानगर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कॉपी)
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, गृह